जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
15/2017
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 15/2017 अनवानी प्रेमसिंह c/o भारत टेलर्स जैतसर, जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

10–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रेम सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रेमसिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी (रसद) श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. मै0 डूंगरराम /कपुर चन्द ग्राम पंचायत जैतसर के उचित मुल्य दुकानदार।
2. मै0 ओम ऑयल कार्पोरेशन ग्राम पंचायत जैतसर के उचित मुल्य दुकानदार।
3. मंगवाना आयल कम्पनी ग्राम पंचायत जैतसर के उचित मुल्य दुकानदार।
4. गर्ग आयल कम्पनी ग्राम पंचायत जैतसर के उचित मुल्य दुकानदार।
5. बंसल आयल कम्पनी ग्राम पंचायत जैतसर के उचित मुल्य दुकानदार।

ग्राम पंचायत बुगिया के उचित मूल्य दुकानदार

1. मुरलीधर पारीक
2. रामदास/ठाकरदास

उपरोक्त ग्राम पंचायत जैतसर एवं ग्राम पंचायत बुगिया के उचित मुल्य दुकानदारो की सन् 2011 से 2017 के चीनी, कैरोसीन, गेंहू का वितरण, स्टॉक एवं मासिक नक्शो की प्रमाणित नकले सूचना के आधार के तहत निःशुल्क डाक द्वारा भिजवाने की कृपा करे।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है। उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी श्री इन्द्राज वर्मा द्वारा शिकायत व अन्य दस्तावेज गायब कर दिये है। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे और उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 953 दिनांक 09.03.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। श्रीमानजी कार्यालय के पत्र के साथ अपीलार्थी का आवेदन पत्र उन्हें प्राप्त होने पर उनके द्वारा पत्र सं0 943 से 948 दिनांक 09.03.17 द्वारा संबंधित उचित मूल्य दुकानदारो को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निदेशित किया जाकर अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के उक्त प्रतिवेदन के साथ प्राप्त पत्र सं0 943–52 दिनांक 09.03.17 के अनुसार उनके द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में संबंधित दुकानदारो को सात दिवस में आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लिखा जाकर प्रार्थी को भी सूचित किया गया है एवं पत्र की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को भी प्रेषित की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है बल्कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र मय आवेदन पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्र सं0 454 दिनांक 28.02.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को भिजवा कर टिप्पणी एवं रिकार्ड मांगे जाने पर उनके द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, संबंधित दुकानदारो को उपलब्ध करवाने के लिए लिखा जाकर अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया है एवं पत्र की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को भी प्रेषित की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना नियमानुसार देय बनती है तो अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर व अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर